

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्या: 02/2021

GCMS No:- 2021/79

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स:- श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मानेसर खेड़ी, बैनाड़ रोड़,
तहसील बस्सी जिला जयपुर।
मूल निवासी -मथवारी मंदिर के पास, दलाल वाला थोक श्यामों,
पोस्ट श्यामा, आगराम-283125
मोबाईल नंबर- 9457871787
2. मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मानेसर खेड़ी, बैनाड़ रोड़,
तहसील बस्सी जिला जयपुर (जरिये नोमिनी)


... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011


निर्णय

दिनांक: 03/02/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी दिनांक 28.07.2020 को समय 05.00 पी.एम. बजे मैसर्स हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मानेसर खेड़ी, बैनाड़ रोड़ तहसील बस्सी जिला जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं नोमिनी होना जाहिर किया। मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर वनस्पति (अशोका) की 500 एम.एल. वजन वाले सील्ड पालिपाउच के 560 कार्टन (प्रत्येक में 40×500 एम.एल) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 सील्ड पालिपाउच वनस्पति (अशोका) 500 एमएल खरीदकर उसकी कीमत 148/- रूपये विक्रेता श्री योगेन्द्र सिंह को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री सूर्यप्रकाश शर्मा एवं श्री विनोद कुमार थारवान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री योगेन्द्र सिंह ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 की एक प्रति विक्रेता श्री दिनेश कुमार राठौड़ को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 पालिपाउच वनस्पति (अशोका) 500 एमएल 4 खाली प्लास्टिक के डिब्बो में डालकर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-1969 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने


अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-1969 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र क्रमांक 611 दिनांक 29.12.2020 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1019/एक्ट/2020/1086 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (अशोका) 500 एमएल सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक/ एफएसएसए /2021/122 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड वनस्पति (अशोका) 500 एमएल का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री धीरज कुमार गुप्ता (अप्रार्थी प्रतिनिधि) उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।


अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ वनस्पति (अशोका) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज कुमार गुप्ता उपस्थित आये। जिन्होंने अपना जवाब दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट अनुसार कुल 7 में से कम सं. 1 से तक की Quality Characteristics बिल्कुल सही एवं मानदण्डों/मानको के अनुरूप पाया गया है केवल कम संख्या 7 पर वर्णित Quality Characteristics Test for Vitamin-A Negative पाया गया है, जो मानक के हिसाब से Positive होना चाहिये। जांच रिपोर्ट में कम संख्या 7 पर वर्णित Quality Characteristics की रिपोर्ट के आधार पर उत्पाद को Sub-Standard करार दिया गया है। रिफाइण्ड तेल के Process के दौरान इसमें विटामिन ए की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जिसे Fortification कहा जाता है, जिसको संपूर्ण Mixture में समान रूप से घोलने/मिलाने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। Mixing के दौरान समान रूप से नहीं धुल-मिल पाया, जिस कारण से सेम्पल में विटामिन ए की जांच रिपोर्ट पोजिटिव नहीं पाई गई है। प्रार्थी/आरोपी द्वारा हमेशा विटामिन-ए की अपेक्षित मात्रा प्रक्रिया के दौरान मिलाई जाती है। यदि किसी विशेष सैम्पल में विटामिन ए की मौजूदगी नहीं आई अर्थात जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई है, तो यह मशीनी तकनीकी गलती के कारण हुई है। प्रार्थी/आरोपी आगे से इसका पूर्ण ध्यान रखेगा, शिकायत का मौका नहीं देगा। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये हैं, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों-अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर